संख्या-31/2026/1416/58-2026-1906870

प्रेषक,

संजीव कुमार त्रिपाठी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

उद्यान अनुभाग **लखनऊः दिनांकः 30 जून, 2026**

विषयः वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-10 के अन्तर्गत राष्ट्रीय औद्यानिक मिशन योजना में सामान्य कार्यक्रम हेतु भारत सरकार से मदर सैंक्शन के रूप में प्राप्त केन्द्रांश रू0-2515.71781 लाख में 40 प्रतिशत राज्यांश रू0-1677.14521 लाख को सम्मिलित करते हुए कुल रू0-4192.86302 लाख को अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-22/बजट/2026-27, दिनांक 10.06.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-10 के अन्तर्गत राजस्व पक्ष के लेखाशीर्षक 2401-119-01-01-राष्ट्रीय औद्यानिक मिशन योजना (के.60/रा.40-के.+रा.) में धनराशि रू0-3983.98802 लाख तथा पूंजीगत पक्ष के लेखाशीर्षक-4401-119-01-01-राष्ट्रीय औद्यानिक मिशन योजना (के.60/रा.40-के.+रा.) में धनराशि रू0-208.875 लाख सहित कुल धनराशि रू0-4192.86302 लाख (रूपये इकतालिस करोड़ बानबे लाख छियासी हजार तीन सौ दो मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करतीं हैं:-

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

1. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय राज्य सरकार तथा भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्ययोजना के अनुसार योजना की गाइडलाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
2. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय निर्धारित मदों में ही किया जायेगा।
3. प्रस्ताव में आंकडों की शुद्धता का दायित्व निदेशक, उद्यान/वित्त नियंत्रक, उद्यान विभाग का होगा।

4. निदेशक, उद्यान/वित्त नियंत्रक, उद्यान विभाग द्वारा योजनान्तर्गत केन्द्रांश अवमुक्त किये जाने विषयक भारत सरकार के पत्र दिनांक 02-06-26 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
5. प्रस्तावित वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत रहेगी, यह निदेशक, उद्यान/वित्त नियंत्रक, उद्यान विभाग का उत्तरदायित्व होगा।
6. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण योजना की गाइडलाइन एवं तदविषयक भारत सरकार के दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
7. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
8. प्रश्नगत राज्यांश की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने से पूर्व निदेशक, उद्यान/वित्त नियंत्रक, उद्यान विभाग द्वारा सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा।
9. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 28 मार्च 2026 एवं समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
10. जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।
11. इस योजना में स्वीकृत धनराशि का अन्य संचालित योजनाओं के मदों में व्यय हेतु जारी स्वीकृतियों से द्विरावृत्ति न हो।
12. योजना से आच्छादित पात्र लाभार्थियों का चयन कर उनकी सूची विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित कर दिया जाय।
13. योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में निर्गत की गयी धनराशि के सापेक्ष कृत कार्यों का भौतिक सत्यापन कराते हुए गुणवत्ता की जांच योजना की गाइडलाइन्स के अनुसार सुनिश्चित की जाय।
14. विभागाध्यक्षों/वित्त नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाय कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय।
15. धनराशि का विभागाध्यक्ष/ नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्ष: 2401001190101 (राष्ट्रीय औद्यानिक मिशन योजना (के.60/रा.40-के.+ रा.))

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि

1	010	2401001190101 राष्ट्रीय औद्यानिक मिशन योजना (के.60/रा.40-के.+ रा.)	02 मजदूरी	27,81,100 (रुपये सत्ताईस लाख इक्यासी हजार एक सौ मात्र)
2	010	2401001190101 राष्ट्रीय औद्यानिक मिशन योजना (के.60/रा.40-के.+ रा.)	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)
3	010	2401001190101 राष्ट्रीय औद्यानिक मिशन योजना (के.60/रा.40-के.+ रा.)	18 प्रकाशन	5,00,000 (रुपये पाँच लाख मात्र)
4	010	2401001190101 राष्ट्रीय औद्यानिक मिशन योजना (के.60/रा.40-के.+ रा.)	19 विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	40,00,000 (रुपये चालीस लाख मात्र)
5	010	2401001190101 राष्ट्रीय औद्यानिक मिशन योजना (के.60/रा.40-के.+ रा.)	27 सब्सिडी	36,21,78,802 (रुपये छत्तीस करोड़ इक्कीस लाख अठहत्तर हजार आठ सौ दो मात्र)
6	010	2401001190101 राष्ट्रीय औद्यानिक मिशन योजना (के.60/रा.40-के.+ रा.)	42 अन्य व्यय	58,86,800 (रुपये अट्ठावन लाख छियासी हजार आठ सौ मात्र)
7	010	2401001190101 राष्ट्रीय औद्यानिक मिशन योजना (के.60/रा.40-के.+ रा.)	43 सामग्री एवं सम्पूर्ति	2,52,100 (रुपये दो लाख बावन हजार एक सौ मात्र)
8	010	2401001190101 राष्ट्रीय औद्यानिक मिशन योजना (के.60/रा.40-के.+ रा.)	44 प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	2,10,00,000 (रुपये दो करोड़ दस लाख मात्र)
9	010	2401001190101 राष्ट्रीय औद्यानिक मिशन	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु	8,00,000 (रुपये आठ लाख मात्र)

		योजना (के.60/रा.40-के.+ रा.)	भुगतान	
	कुल			**39,83,98,802 (रुपये उनतालीस करोड़ तिरासी लाख अट्ठानबे हजार आठ सौ दो मात्र)**

लेखाशीर्ष: 4401001190101 (राष्ट्रीय औद्यानिक मिशन योजना (के.60/रा.40-के.+ रा.))

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	010	4401001190101 राष्ट्रीय औद्यानिक मिशन योजना (के.60/रा.40-के.+ रा.)	24 वृहत् निर्माण कार्य	2,08,87,500 (रुपये दो करोड़ आठ लाख सत्तासी हजार पाँच सौ मात्र)
	कुल			**2,08,87,500 (रुपये दो करोड़ आठ लाख सत्तासी हजार पाँच सौ मात्र)**

महायोग	41,92,86,302 (रुपये इकतालीस करोड़ बानबे लाख छियासी हजार तीन सौ दो मात्र)

के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न अशासकीय संख्या-**E-1-69-X-2026-27-दिनांक:24-6-2026** मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(संजीव कुमार त्रिपाठी)
अनु सचिव।

संख्या- 31 /2026/1416(1)/58-2026, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- भारत सरकार कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन नई दिल्ली। द्वारा-निदेशक

2- महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।

https://

3- महालेखाकार, लेखा परीक्षक, प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4- वित्त नियंत्रक, उद्यान विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
5- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश। द्वारा-निदेशक
6- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ। द्वारा-निदेशक
7- समस्त मण्डलीय उप निदेशक उद्यान, उत्तर प्रदेश। द्वारा-निदेशक
8- समस्त जिला उद्यान अधिकारी/अधीक्षक, राजकीय उद्यान/आलू एवं शाकभाजी विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश। द्वारा-निदेशक
9- वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
10- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
संजीव कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।

https://shasanadesh.up